न्यायालय तहसीलदार श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

मुकदमा नम्बर 59/2015 अंतर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956

उनवान : **राज्य सरकार** बनाम **कानाराम**

निर्णय दिनांक 21.02.2019

निर्णय

आज पत्रावली पेश हुई। गैर सायल उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का **इन्दपालसर सांखलान** अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत इस आशय की रिपोर्ट पेश की है कि गैर सायल **कानाराम** जाति **जाट** निवासी **अमृतवासी** द्वारा ग्राम **इन्दपालसर सांखलान** के खसरा नम्बर **200** तादादी **6.33 है0** किस्म भूमि **गैर मुमकिन गोचर** भूमि में से 2.61 **है0** भूमि पर सम्वत् **2072** में नाजायज **ग्वार काश्त 2.20 है0** व **खाली कब्जा 0.41** हैक्टेयर पर अतिक्रमण किया है, अतः इनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने का अनुरोध किया है।

प्रकरण दर्ज कर रजिस्टर किया जाकर गैर सायल को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 91 का नोटिस जारी कर तलब किया गया। गैर सायल को जारी नोटिस विधिवत् तामिल कराया गया, बाद नोटिस तामिल के गैर सायल ने निर्धारित तारीख पेशी को न्यायालय में उपस्थित होकर नोटिस जवाब पेश किया। गैर सायल ने नोटिस जवाब में लिखा कि आपके जिस भूमि को सरकारी भूमि मानते हुए मेरे विरूद्ध जो नोटिस जारी किया है व बिल्कुल गलत, मनगढत, व वास्तविक स्थिति के विपरीत बिना मौके की जांच किये हुये जारी किया गया है उक्त भूमि हमारी खातेदारी व कब्जा–काश्त की भूमि हैं। जिस पर पिछले 50 वर्षो से हमारे पूर्वजों के समय से इस भूमि पर हमारा कब्जा–काश्त व उपयोग–उपभोग चला आ रहा हैं। यह भूमि सरकारी भूमि नहीं है। इस भूमि पर खेती कर मै व मेरे परिवार के लोग अपना जीवनयापन कर रहे हैं। मेरे व मेरे परिवार के लोगों द्वारा सरकारी भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। इसलिये गैर सायल के विरूद्ध दिनांक 21.02.2019 को एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये।

उक्त अतिक्रमित भूमि के संबंध में स्वामित्व बाबत् कोई दस्तावेज/सबूत गैर सायल द्वारा प्रस्तुत नही किया गया। जिससे उक्त भूमि पर इनका स्वामित्व साबित होता हो, जबकि पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि गैर सायल द्वारा उक्त भूमि पर नाजायज ग्वार काश्त एवं खाली कब्जा कर अतिक्रमण किया है। गैर सायल द्वारा भूमि स्वामित्व संबंधित कोई संतोषजनक जवाब/प्रस्तुत न करने एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट में गैर सायल **कानाराम** का उक्त खसरा नम्बर **200 तादादी 6.33 है. किस्म भूमि गैर मुमकिन गोचर** भूमि में से **2.20हैक्टेयर** भूमि पर ग्वार काश्त एवं 0.41 हैक्टेयर खाली कब्जा करके **कुल अतिक्रमित रकबा 2.61 हैक्टेयर** पर नाजायज अतिक्रमण होना साबित होता है। गैर सायल **कानाराम** अतिक्रमी की श्रेणी में आते है।

अतः गैर सायल **कानाराम पुत्र धन्नाराम** निवासी **अमृतवासी** द्वारा ग्राम **इन्दपालसर सांखलान** के आराजी ख.नं. **200 तादादी 6.33 है. गैर मुमकिन गोचर** भूमि में से **2.61 हैक्टेयर** भूमि का सम्वत् **2075** का अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखली का आदेश पारित किया जाता है तथा लगान **2.61 रूपये** का 50 गुणा से **131.00** रूपये की शास्ती आरोपित की जाती है।

त.रा.ले. को मांग कायमी, पटवारी हल्का को शास्ती राशि वसूली एवं हल्का भू.अ.नि. को अतिक्रमी द्वारा नाजायज काश्त कर बोई गई ग्वार को कुर्क कर, निलाम कर राशि राजकोष में जमा करवानें व अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल करने एवं कब्जा बहक सरकार लेने हेतु लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक **21.02.2019** को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तकमील पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

तहसीलदार
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर) राज